



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 65804

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 10577 सन् 2026

दुरवेश

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- अशोक कुमार यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री अशोक कुमार यादव, विद्वान पैनल अधिवक्ता, उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, जो याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए, श्री रोशन कुमार सिंह, राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह तात्कालिक जमानत प्रार्थना पत्र, विचारण की लंबितता के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 131 सन् 2018, धारा 302 भारतीय दंड संहिता, थाना - खैरगढ़, जनपद - फिरोज़ाबाद, में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अभियोजन कथा के अनुसार, याचिकाकर्ता मृतक का सगा भाई है और मोबाइल को लेकर हुए मामूली विवाद में उसने मृतक को हथौड़े से मारा, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता दिनांक 02.11.2018 से कारागार में है, और प्रथम सूचनादाता, जिसे पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में परीक्षित किया गया, तथा पी.डब्ल्यू.-2 को, अभियोजन की कहानी का समर्थन न करने के कारण, शत्रुघ्न घोषित किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि 14 प्रस्तावित साक्षियों में से केवल दो साक्षियों की परीक्षा की गई है, जो स्वयं ही शत्रुघ्न हो गए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में यह भाई-बहन के बीच हुई झड़प के दौरान मृतक को आकस्मिक चोट लगने का मामला था। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, परंतु उपर्युक्त तथ्यों को विवादित नहीं कर सके।
5. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए एवं कारागारों की अतिभीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, एवं सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के वाद में दिए गए निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरी यह राय है कि याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
6. याचिकाकर्ता - **दुर्वेश**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:
 - i. याचिकाकर्ता, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से विरत न किया जा सके, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
 - ii. याचिकाकर्ता विचारण/अन्वेषण में कोई स्थगन न चाहते हुए ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।
 - iv. याचिकाकर्ता उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व याचिकाकर्ता एवं प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति एवं निवास-प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति, जो संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय के वचनबंध के साथ सत्यापित हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, के आधार पर रिहा किया जाएगा।
10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय, याचिकाकर्ता की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु रिहाई आदेश, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (BOMS) के माध्यम से संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के जमानत प्रदान करने की नीतिगत रणनीति, संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 सन् 2021 में दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत एवं (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित, आदेश के अनुपालन में, संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा याचिकाकर्ता को प्रेषित करे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

30 मार्च, 2026